न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–106/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2023/120

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेट आफिस प्लॉट नं. 04, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, एवं बीकानेर सर्किल शस्त्र(Sastra), आफिस सर्किल शस्त्र(Sastra), डी–8205 बीकानेर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी मो0 आदिल		1. ईमरती देवी पत्नी स्व0 कुम्भा राम 2. हेमेन्द्र पुत्र स्व0 कुम्भा राम 3. माया पुत्री स्व0 कुम्भा राम, निवासीगण गांव बादेड़ तहसील लाडनूँ जिला नागौर राज0 341306 4. राज कुमार अरोड़ा पुत्र माखन लाल (ग्राम सेवक) पता–1. ग्रा.पं. आसोटा, तहसील लाडनूँ, जिला नागौर राज0–341306, पता–2. 6–एलएलजी लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर, राजस्थान 335037 5. सरिता पुत्री स्व0 कुम्भा राम पता– गांव बादेड़ तहसील लाडनूँ जिला नागौर राज0 341306

आदेश दिनांक: 12/07/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **रूपये 8,00,000/–(अक्षरे आठ लाख रूपये मात्र) का** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति का विवरण –स्वर्गीय कुंभाराम पुत्र श्री मुन्नाराम मेघवाल जरिए विधिक वारिसान श्रीमति इमरती देवी पत्नी स्वर्गीय कुंभाराम, माया पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम, सरिता पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम एवं श्री हेमेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कुंभाराम की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि मेघवालों का बास, ग्राम बेदर (Bader), तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान–341306 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4845 वर्ग फीट अर्थात् 538.33 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में निकाल, पेसार व श्री रेखाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान, दक्षिण में श्री अर्जाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट का खेत, पूर्व में श्री आशाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान एवं पश्चिम में श्री भगवानदास पुत्र हनुमानदास का मकान है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 30.12.2022 को** एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 7,39,493.24/–(अक्षरे सात लाख उनतालीस हजार चार सौ तिरानवे रूपये एवं चौबीस पैसा मात्र) दिनांक 28.02.2023 तक एवं आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक **14.03.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 7,39,493.24/–(अक्षरे सात लाख उनतालीस हजार चार सौ तिरानवे रूपये एवं चौबीस पैसा मात्र) दिनांक 28.02.2023 तक एवं आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज **सम्पति का विवरण –स्वर्गीय कुंभाराम पुत्र श्री मुन्नाराम मेघवाल जरिए विधिक वारिसान श्रीमति इमरती देवी पत्नी स्वर्गीय कुंभाराम, माया पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम, सरिता पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम एवं श्री हेमेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कुंभाराम की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि मेघवालों का बास, ग्राम बेदर (Bader), तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान–341306 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4845 वर्ग फीट अर्थात् 538.33 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में निकाल, पेसार व श्री रेखाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान, दक्षिण में श्री अर्जाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट का खेत, पूर्व में श्री आशाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान एवं पश्चिम में श्री भगवानदास पुत्र हनुमानदास का मकान है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 8,00,000/–(अक्षरे आठ लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आर्डिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति का विवरण –**स्वर्गीय कुंभाराम पुत्र श्री मुन्नाराम मेघवाल जरिए विधिक वारिसान श्रीमति इमरती देवी पत्नी स्वर्गीय कुंभाराम, माया पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम, सरिता पुत्री स्वर्गीय कुंभाराम एवं श्री हेमेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कुंभाराम की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि मेघवालों का बास, ग्राम बेदर (Bader), तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान–341306 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4845 वर्ग फीट अर्थात् 538.33 वर्गगज है, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में निकाल, पेसार व श्री रेखाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान, दक्षिण में श्री अर्जाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट का खेत, पूर्व में श्री आशाराम पुत्र श्री जेठाराम मेघवाल का मकान एवं पश्चिम में श्री भगवानदास पुत्र हनुमानदास का मकान है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)